संख्या-23/2015/725/49-3-2015-100(25)/92टी0सी0-111

प्रेषक,

राम किशोर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 16जून, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आई0सी0डी0पी0 योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-28/लेखा-अ, दिनांक 15अप्रैल, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में आई0सी0डी0पी0 योजनान्तर्गत अनुदान मद में प्राविधानित धनराशि रू0 74812.50 हजार एवं ऋण मद में रू0 110453.00 हजार कुल योग- रू0 185265.50 हजार की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 कृषि तथा सम्बद्ध विभाग(सहकारिता) के अन्तर्गत निम्न लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा :--

| लेखा शीर्षक | (धनराशि हजार रूपये में) |
|---|---|
| 2425- सहकारिता आयोजनागत | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 04- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत अनुदान (एन0सी0डी0सी0 पोषित) | |
| 27- निवेश/ऋण | 74812.50 |
| 6425- सहकारिता के लिये कर्ज- आयोजनेत्तर | |
| 800- अन्य कर्ज | |
| 04- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत ऋण (एन0सी0डी0सी0 पोषित) | |
| 30- निवेश/ऋण | 110453.00 |
| कुल योग- | 185265.50 |

----2/---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- यू0ओ0-70/दस-2015, दिनांक: 15-6-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राम किशोर
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 23/2015/725(1)/49-3-2015, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- उप महालेखाकार(राजकोष एवं वी0एल0सी0), कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार(राजकोष), कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-,द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0, लखनऊ।
5- अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, आईसीडीपी, सहकारिता,उ0प्र0, लखनऊ।
6- वेब मास्टर, कार्यालयआयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

राम किशोर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।